उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त
एवं विकास निगम लि०
सेक्टर–1–सी–10,डिफेन्स कालोनी,
देहरादून ।

सेवा में,

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/
पदेन जिला प्रबन्धक,
उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास
निगम लि0,उत्तरांचल ।

पत्रांक/ 883 /बहु.नि.स्व.रो.यो0/2002–2003 दिनांकः 03/01/2003

विषयः– **निगम द्वारा संचालित स्वतःरोजगार योजनान्तर्गत अनुदान एवं मार्जिनमनी ऋण स्वीकृत करने सम्बन्धी अधिकारों का प्रतिनिधायन ।**

महोदय,

निगम के निदेशक मण्डल की बैठक दि0 11 दिसम्बर 2002 में वृहद लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए निगम के माध्यम से संचालित स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुदान एवं मार्जिनमनी ऋण स्वीकृत करने का वित्तीय अधिकार निम्नवत दिये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) रू0 50,000/– तक	जिला समाज कल्याण अधिकारी/पदेन जिला प्रबन्धक
(2) रू050,001/–से 1,50,000/–तक	मुख्य विकास अधिकारी
(3) रू01,50,001/–से3,00,000/–तक	जिलाधिकारी
(4) रू03,00,001/–से अधिक	प्रबन्ध निदेशक

यह निर्णय स्वयं सहायता समूह को निगम से वित्तपोषण करने के दृष्टिकोण से लिया गया ।

अतः उपरोक्तानुसार परियोजनाओं की लागत को ध्यान में रखते हुए अनुदान मार्जिनमनी ऋण स्वीकृति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

भवदीय,

(आर0के0वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक.

पृष्ठां0सं0/ 883 /तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,समाज कल्याण,उत्तरांचल शासन ।
(2) सचिव,समाज कल्याण,उत्तरांचल शासन ।
(3) मण्डलायुक्त,कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल ,उत्तरांचल ।
(4) समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल ।
(5) समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उत्तरांचल ।
(6) निदेशक,समाज कल्याण,उत्तरांचल,देहरादून ।
(7) समस्त लीड बैंक अधिकारी,उत्तरांचल ।
(8) उप महा प्रबन्धक,निगम मुख्यालय ।
(9) गार्ड पत्रावली ।

(आर0के0 वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक.